

5

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-59/2022-23

PUNJAB NATIONAL BANK

बनाम्

SHRISTIDHAR MAHTO AND OTHERS

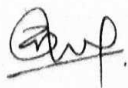
-: आदेश :-

02.06.2023

प्राधिकृत पदाधिकारी, Punjab National Bank, Circle
Sastra Centre, Bokaro, Sector-4, Bokaro द्वारा धारा 14 (1)
and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION
OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF
SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी
1. Shristidhar Mahto S/o Late Ravi Mahto 2. Budheshwar
Mahto S/o Sri Keshaw Chandra Mahato Both At.-Bhawanipur
Side, Chas Chandankiyari Road, Chas, Bokaro-827013 के
विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा
प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए
उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया
गया।

प्रथम पक्ष Punjab National Bank की ओर से विद्वान
अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी ने अपनी
निम्नांकित सम्पत्ति (All that part and parcel of Land and structure
thereon situated at Mauza Bhawani @Solagidih Thana No. 52
P.S. Chas Dist Bokaro (on the Chas Chandankayari Road) Plot
No. 873, Khata No. 13, Area-05 Decimal in the name of Mr
Shristidhar Mahto S/o Mr Ravi Mahto vide deed No. 7429 dt.
25.08.1986. 2.) All that part and parcel of property consisting
Land and structure thereon situated at Mauza Bhawani
@Solagidih Thana No. 52 P.S. Chas Dist Bokaro (on the Chas
Chandankayari Road) Plot No. 873, Khata No. 13, Area-08
Decimal in the name of Mr Shristidhar Mahto S/o Mr Ravi
Mahto vide deed No. 5688 dt. 31.10.02) को गिरवी रखते हुए
बैंक से 45,00,000.00 (पैंतालिस लाख) रुपये ऋण लिया गया था
जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण



की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.03.2021 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रुपये 43,33,521.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित थे। उन्हें निबधित डाक से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया था, किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस हो गया। फलस्वरूप उन्हें स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया, उसके बाद भी वह सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। बावजूद इसके विपक्षी के द्वारा बकाया ऋण वापसी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

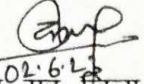
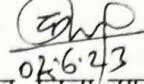
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी Punjab National Bank, Circle Sastra Centre, Bokaro, Sector-4, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए



विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित
अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

 02.6.23	 02.6.23
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी	उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।	बोकारो।